

--:: सूचना दिनांक 20.03.2020 ::--

समस्त संबंधित पक्षकारगण/सम्माननीय अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव से निर्वाहन संबंधी जारी की गई एडवाइजरी दिनांक 20.03.2020 के पालन में न्यायालय अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सागर में दिनांक **21.03.2020** से **31.03.2020** की अवधि के दौरान सभी मामलों में नियत पेशी निम्नानुसार बढ़ाई गई है :-

क.	पूर्व से नियत पेशी दिनांक	पूर्व से नियम मामलों की संख्या	आगामी नियम पेशी दिनांक
1	21.03.2020	8 प्रकरण	15.04.2020
2	23.03.2020	25 प्रकरण	16.04.2020
3	24.03.2020	20 प्रकरण	17.04.2020
4	26.03.2020	25 प्रकरण	20.04.2020
5	27.03.2020	27 प्रकरण	21.04.2020
6	28.03.2020	6 प्रकरण	22.04.2020
7	30.03.2020	24 प्रकरण	23.04.2020
8.	31.03.2020	4 प्रकरण	24.04.2020

संबंधित पक्षकारगण/सम्माननीय अधिवक्तागण अपने मामलों में केवल बढ़ाई गई पेशी दिनांक पर ही न्यायालय में उपस्थित हों। पूर्व से नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थिति होने की जरूरत नहीं है, केवल नोटिस बोर्ड पर आगामी दिनांक देखकर नोट करने की कृपा करें।

केवल जमानत प्रकरण एवं तत्काल प्रकृति के मामलों की सुनवाई न्यायालय द्वारा दिन-प्रतिदिन कार्यदिवस पर जारी रहेगी।

।।सुरेश कुमार सूर्यवंशी।।

अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर, जिला सागर (म.प्र.)